राष्ट्रीय विकास परिषद
की 55वीं बैठक के अवसर पर

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
का अभिभाषण

दिनांक 24 जुलाई, 2010

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के माननीय मंत्रीगण, मा0 उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार, विभिन्न राज्यों के मा0 मुख्यमंत्री तथा अन्य उपस्थित महानुभाव

सर्वप्रथम मैं राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक एवं चहुमुखी विकास को दृष्टि एवं दिशा देने वाले राष्ट्र की सर्वोच्च परामर्शी एवं नीति निर्धारक विकास परिशद की बैठक आहूत करने हेतु प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुझे अपने राज्य के अनुभवों को आप सभी से बांटने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती अनुश्रवण के साथ ही शहरीकरण, कृषि विकास रणनीति, वामपंथी हिंसा, जल संसाधन, जनजाति विकास एवं विद्युत उत्पादन व कोयले की उपलब्धता के मध्य अन्तर्मुखीकरण एवं पर्यावरण प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी परिषद की इस 55वीं बैठक की कार्यसूची में रखा गया है।

विगत कुछ वर्षो में विकास की दर के अनुसार हमारा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर प्रतीत होता है। राष्ट्र के साथ–साथ हमारा राज्य भी तमाम आरम्भिक बाधाओं के बावजूद विकास की दौड़ में राष्ट्रीय औसत से पीछे नहीं रहा है, किन्तु जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास (inclusive growth) की अवधारणा को बल दिया गया है और इस दिशा में प्रयास भी हुए हैं तथापि निरन्तर बढ़ती महंगाई से इस अवधारणा को गम्भीर आघात पहुंचा है तथा निर्धन, मजदूर एवं कृषक वर्ग इससे सीधे प्रभावित हुये हैं। कृषि पदार्थो एवं आम जरूरत की वस्तुओं में मूल्यवृद्धि से जहां एक ओर आम उपभोक्ता व्यथित है वहीं दूसरी ओर बढ़े मूल्यों का लाभ काश्तकारों एवं प्राथमिक उत्पादकों को अनुपातिक रूप में प्राप्त नहीं हुआ है जबकि कृषि निवेशों के रूप में उन्हें मूल्य वृद्धि का निरन्तर सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल–डीजल को नियंत्रण मुक्त करने एवं इससे हुई मूल्य वृद्धि ने महंगाई बढ़ाने में आग में घी का काम किया है जिसका व्यापक प्रभाव सभी पर एवं विशेषकर मजदूर, साधनहीन निर्बल वर्ग एवं कृषकों पर स्वाभाविक रूप से पड़ रहा है। इससे समावेशी विकास की अवधारणा कमजोर होने एवं सम्पन्नता–विपन्नता की खाई बढ़ने की आशंका बढ़ी है।

नवोदित राज्य होने के बावजूद इन 9 वर्षो में विकास की गति में, हमने अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के दौरान वर्ष 2001–02 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (G.S.D.P.) वृद्धि दर 5.53 प्रतिशत (5.8 प्रतिशत, राष्ट्रीय स्तर पर) थी जबकि वर्ष 2008–09 में यह बढकर 8.67 प्रतिशत (7.1 प्रतिशत, राष्ट्रीय स्तर पर) हो गयी। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू

उत्पाद जो वर्श 2000–01 में रू0 15285 था, वर्श 2009–10 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर बढ़कर रू0 42000 हो गया है। किन्तु राज्य में यह वृद्धि अधिकांशतः प्रदेश के मैदानी जनपदों में सीमित है। हमारे लिए इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना अति आवश्यक है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

उत्तराखण्ड राज्य हेतु हमने रू0 42012 करोड़ की पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, इसके सापेक्ष अभी तक अर्थात् 4 वार्षिक योजनाओं हेतु राज्य के न्यून वित्तीय संसाधन आधार के कारण, रू0 21528 करोड़ के परिव्यय की ही व्यवस्था हो पायी है जो कुल प्रस्तावित परिव्यय का 51 प्रतिशत है। यह विचारणीय है कि उत्तराखण्ड राज्य के निकटवर्ती राज्यों में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन मानकों के अनुसार हो चुका है, किन्तु नवोदित उत्तराखण्ड में अभी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे यातायात, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा–स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में मानक के अनुसार अभी काफी कार्य होने हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष वार्षिक योजना परिव्यय में लगभग 65 प्रतिशत अंश अवस्थापना निर्माण कार्यों के लिए रखना पड़ता है। राज्य में अंतःराज्यीय यातायात हेतु लगभग पूर्ण निर्भरता सड़क यातायात पर है, क्योंकि रेल यातायात, विमानन एवं जल मार्ग लगभग नगण्य है। मानकों के अनुसार मूलभूत आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु एक अलग पैकेज दिया जाना भी संविधान की क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करने के सिद्धान्त के अनुरूप होगा। अतः योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस राज्य को तत्काल अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता की दरकार है। इस सन्दर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रस्तर 3.77 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जिसमें विशेष श्रेणी राज्यों के आर्थिक संसाधनों की सीमितता के कारण हो रहे राजस्व घाटे को देखते हुए इनके वित्त पोषण की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन तथा अधिक लागत वाली बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने की संस्तुति की गई थी; जिसको मूर्त रूप दिया जाना बहुत आवश्यक है। 13वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में वित्तीय अनुशासन एवं राजस्व घाटा कम करने के लिए जो वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं एवं इस हेतु जो शर्तें रखी गयी है उनसे हम योजना व्यय बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य को मिलने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष आयोजनागत सहायता एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को पुनरीक्षित कर अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर को पाटने के लिए बढ़ाया जाये।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य के सहयोग से तैयार की गई उत्तराखण्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट में भी राज्य की वर्तमान विकास की गति को बनाये रखने हेतु ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना हेतु कुल रू0 73000 करोड़ निवेश की

आवश्यकता आंकलित की गई थी जिसमें लगभग रू0 45 हजार करोड़ निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाना अपेक्षित था। हमने राज्य में पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है जिसके फलस्वरूप देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने भी राज्य में पूंजी निवेश में रूचि ली है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम निजी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को बढ़ावा देने हेतु अलग पी0पी0पी0 सेल गठित किया गया है। हमारा विश्वास है कि यदि भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रदत्त विशेष औद्योगिक विकास पैकेज की अवधि जो मार्च 2010 को समाप्त कर दी गई है, को यदि आगे विस्तार दिया जाता है तो ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित रू0 45000 करोड़ निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने के स्तर को अति भीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।

निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं सृजित करना अत्यावश्यक है जिसकी राज्य में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में नितान्त कमी है। राज्य में विद्यमान अवस्थापना अन्तर (Acute Infrastructure Deficit) के दृष्टिगत एक समयबद्व एवं योजनाबद्व अवस्थापना पैकेज स्वीकृत किया जाना अत्यावश्यक है ताकि एक निर्धारित अवधि में राज्य अवस्थापना विकास का, एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर हम विकास की दौड़ में सक्षम रूप से भाग ले सकें।

हमने इस वर्ष नये राज्य के रूप में पहली बार हरिद्वार महाकुम्भ जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात एक बारह वर्षीय धार्मिक–सांस्कृतिक पर्व है, का आयोजन पूर्ण किया है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा किये गये वैज्ञानिक आंकलन के अनुसार लगभग 08 करोड़ 28 लाख श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों द्वारा भाग लिया गया। राज्य की कुल आबादी के नौ गुना जन सैलाब की उत्तराखण्ड के एक छोटे से शहर के अन्दर स्वागत एवं सकुशल वापसी हमारे इस नवोदित राज्य के लिए बड़ी चुनौती थी। पूर्ण विनम्रता के साथ मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आपके सहयोग एवं सद्भाव से इसे जिस कुशलता से निर्विघ्न सम्पन्न कराया गया, निस्संदेह बड़ी उपलब्धि है।

कुशल वित्तीय प्रबन्धन

अपेक्षाकृत छोटे एवं नवगठित राज्य की असीमित जनाकांक्षाओं एवं अल्प संसाधनों के दृष्टिगत हमने अपने वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु कुशल वित्तीय प्रशासन पर ध्यान दिया है। हमारे प्रयासों को तेरहवें वित्त आयोग ने भी सराहा है तथा इसका संज्ञान लेते हुए रू0 1000 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि अगले पांच वर्षो हेतु अनुमोदित की है। योजना आयोग ने भी

हमारे द्वारा प्रस्तुत रू0 6800 करोड़ की वार्षिक योजना पूर्ण स्वरूप में अनुमोदित की है, जिससे हमारे प्रयासों को बल मिला है।

हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड राज्य को देश के ''आदर्श राज्य'' (Model State) के रूप में स्थापित करना है। इस अभिनव उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमने साधनों की सीमितता के बावजूद ठोस कदम बढ़ाये हैं।

क्षेत्रीय असन्तुलन

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह ज्ञातव्य है कि भू–भौतिकीय दृष्टि से यह मुख्यतः दो भागों–मैदानी तथा पर्वतीय में बंटा हुआ है। मैदानी भाग में दो जनपद पूर्णतः तथा दो आंशिक रूप से सम्मिलित है। शेष 09 जनपद पूर्णतः पर्वतीय हैं। 05 जनपद अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। पर्वतीय क्षेत्र अवस्थापना संरचना के अभाव में अभी भी औद्योगिक विकास से वंचित है। जिसके कारण कृषि सेक्टर से इतर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टि पत्र में भी उल्लेख हुआ था कि कृशि इतर क्षेत्रों में सतत् रोजगार का अभाव क्षेत्रीय विभेद एवं असमानताओं का मूल कारण है तथा समावेशी विकास के लक्ष्य को भटका देता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु अलग नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु पूंजी अनुदान, कर छूट आदि की व्यवस्था की गई है।

पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों के अभाव तथा अलाभकारी कृषि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिस कारण राज्य से रोजगार की खोज में भारी संख्या में युवाओं का पलायन एक गम्भीर समस्या है, जो राष्ट्र के लिए भी एक चिन्ता का विषय है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सैनिक के रूप में देश की सीमाओं पर अपना योगदान दे रहा है। युवावस्था में ही सैनिकों के सेवानिवृत्त हो जाने तथा गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनके शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को देखते हुए, पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं उन्हें पुनः सेवायोजित करने के लिए, ग्राम स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सुलभ किया जाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेष कार्ययोजना के तहत उत्तराखण्ड को अलग से एक पैकेज दिया जाना अपेक्षित है। उत्तराखण्ड कई दृष्टि से देश के लिए एक अभिनव प्रदेश है। हमारा प्रयास है कि हम इस नवोदित राज्य को देश का एक आदर्श राज्य स्थापित कर सकें, इसकी तमाम सम्भावनाएं उत्तराखण्ड में छिपी हुई हैं, किन्तु यह तभी सम्भव है कि जब हमें भारत सरकार का अपेक्षित सहयोग मिलता रहे।

रोजगार

विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के युवा स्थानीय रोजगार अवसरों के अभाव में अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। नये राज्य में औद्योगिक विकास हेतु प्रारम्भिक पहल के चरण में अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से औद्योगिक गतिविधियां प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में केन्द्रित रही हैं, जिसमें देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों ने सक्रिय भागीदारी की है। इनके द्वारा सामाजिक–व्यावसायिक जिम्मेदारी के रूप में राज्य सरकार की पहल पर प्रशिक्षण द्वारा कौशल वृद्धि कर अपने उद्योगों में ही नियुक्त करने की योजना संचालित की जा रही है। पॉलिटेक्निकों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को भी उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी स्वरोजगार सम्बन्धी योजनायें एवं पर्यटन के क्षेत्र में राज्य वित्त पोषित *वीर चन्द्र गढ़वाली स्वरोजगार योजना* संचालित की जा रही हैं। बागवानी, चाय विकास, दुग्ध विकास, जड़ी–बूटी एवं सगंध पौध कृषिकरण आदि क्षेत्रों में भी इस राज्य में अनेक रोजगारपरक योजनाएं संचालित की जा रही है।

नक्सली/वाम उग्रवाद

विगत कुछ वर्षो में सीमापार से संचालित आतंकवाद के साथ–साथ आंतरिक स्तर पर नक्सली/उग्रवादी वामपंथी शाखा, द्वारा फैलाई गई व्यापक हिंसा चिन्ताजनक ढंग से बढ़ी है, जो हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए एक कड़ी चुनौती है। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक–पहलुओं के दृष्टिगत पूरी इच्छा शक्ति के साथ समन्वित प्रयास करने आवश्यक हैं, ताकि भटके हुए युवाओं को अति ीघ्र स्थायी रूप से राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सके। यह अत्यधिक संवेदनशील विषय है। सौभाग्य से हमारे राज्य में कतिपय छिट–पुट घटनाओं को छोड़कर अभी स्थिति नियंत्रण में है, किन्तु राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं एवं सीमा पार के हालात देखते हुए, यदि समय रहते जरूरी उपाय नहीं किये गये, तो इसके विस्तार की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ सीमान्त क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा की घुसपैठ परिलक्षित हुई है। अतः सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रथमतः सामाजिक–आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा स्थानीय युवा वर्ग को रचनात्मक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना नितान्त जरूरी है।

सीमान्त जनपदों का विकास

उत्तराखण्ड की चीन एवं नेपाल से क्रमशः 350 कि0मी0 एवं 275 कि0मी0 लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा खुली है। चीन से लगी सीमा की सामरिक महत्ता रेखाकिंत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी सहमत होंगे कि देश

एवं प्रदेश की इन सीमाओं पर हमारी चौकसी में तनिक भी कमी अथवा लापरवाही से राश्ट्र के लिए भयावह दुष्परिणाम हो सकते हैं। सीमा पार पड़ोसी देश द्वारा सीमान्त क्षेत्र में किये जा रहे यातायात सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखकर सामरिक दृष्टि से देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु इन क्षेत्रों का समय रहते ही समेकित विकास एवं स्थानीय निवासियों का सामाजिक–आर्थिक उत्थान कर आत्म निर्भर बनाना अति आवश्यक है। वर्तमान में सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (BADP) के तहत राज्य के 4 पर्वतीय तथा एक मैदानी जनपद के एक विकास खण्ड सहित मात्र 09 विकासखण्डों को लिया जा रहा है। जिससे लगभग 07 प्रतिशत आबादी ही सीमित रूप में लाभान्वित हो रही है। योजना के अन्तर्गत धनराशि भी बहुत कम दी जाती है। इससे अवस्थापना सम्बन्धी बड़े कार्य कराये ही नही जा सकते, जबकि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण चिन्हित सीमान्त विकासखण्डों के विकास हेतु उन्हें सड़क, विद्युत, दूरसंचार सुविधाओं के साथ ही जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु अन्य विकास खण्डों को भी जोड़ना अपरिहार्य हो जाता है। अतः परिषद से मेरा सबल अनुरोध है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी सीमान्त जनपदों के समस्त विकासखण्डों सहित राज्य के कुल 26 विकासखण्डों में ऐसी योजनाएं लागू करने की स्वीकृति दी जाय तथा राज्यों के मध्य धनराशि आबंटन के लिए प्रमुख वरीयता सीमाओं की लम्बाई को दी जाये। एक अच्छा विकल्प यह भी होगा कि सीमान्त जनपद उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ को भी समस्याग्रस्त क्षेत्र के आधार पर बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट फण्ड (BRGF) योजना में सम्मिलित किया जाए।

केन्द्र पोषित योजनाओं का 90:10 अनुपात में वित्त पोषण

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2001–02 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था तथा यह इंगित किया गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम की भाँति उत्तराखण्ड को भी केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता दी जायेगी। मैं पुनः संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त होने के समय से विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अभी भी केवल 50:50, 66:34, 75:25, 80:20 आदि अनुपातों में वित्त पोषण किया जा रहा है जबकि इन सभी अंश आधारित केन्द्र पोषित योजनाओं का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि योजना आयेाग द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार विशेष श्रेणी वाले राज्यों में हमारा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति ग्रान्ट वाला राज्य है। सम्मानित परिषद से अनुरोध है कि इस विसंगति को अविलम्ब दूर करें तथा विगत वर्षो की अवशेष धनराशि के रूप में रू0 2000.00 करोड़ एकमुश्त पैकेज के रूप में जारी करने का भी तर्कसंगत निर्णय लें। अगर प्रतिवर्ष यह सुविधा मिलती रहती तो अवस्थापना

सुविधाओं के सृजन की दिशा में अब तक हम काफी हद तक बेहतर स्थिति में आ चुके होते।

आपदा प्रबन्धन

उत्तराखण्ड मध्य हिमालयी क्षेत्र में है तथा भूकम्पीय दृष्टि से जोन IV तथा V में आता है। इसके अतिरिक्त भू–भौतिकीय दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील एवं भंगुर भी है, जिसके कारण यहां अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से निरन्तर जन–धन की हानि की समस्या बनी रहती है। वर्तमान में लगभग 100 गांव खतरनाक स्थिति में हैं जो किसी भी समय भूस्खलन से नष्ट हो सकते हैं। इन्हें अन्यत्र स्थापित करना भी आवश्यक है। अतः इसके लिए विशेष परियोजना बनाकर अलग से पर्याप्त धनराशि अति भीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

कृषि

पर्वतीय राज्य होने तथा लगभग 65 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण राज्य में कृषि उत्पादन का क्षेत्रफल सीमित है। जोतें छोटी एवं बिखरी हुई हैं तथा विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में अलाभकर स्थिति में है। सिंचाई मुख्यतः 04 मैदानी क्षेत्र वाले जनपदों में सीमित है, पर्वतीय क्षेत्र में छोटी–छोटी परियोजनायें निर्मित की जा रही हैं, किन्तु प्राकृतिक कारणों से इनके छोटे–छोटे स्रोतों में तेजी से ह्रास हो रहा है जिससे इनका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का 55 प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं वर्शा आधारित कृषि पर निर्भर है। विषम भौगोलिक संरचना के कारण सिंचाई की सुविधाऐं मैदानी क्षेत्र में ही विशेष रूप से उपलब्ध हैं। गत दो वर्षों में अनियमित एवं कम वर्षा तथा तापमान में वृद्धि के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध योजनाओं में राज्य की कृषि विकास दर 3.39 रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना संरचना के समय राज्य द्वारा आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से अध्ययन कराया गया था, जिसके आधार पर कृषि क्षेत्र हेतु व्यावहारिक विकास दर (Realistic Growth Rate) 1.72 निर्धारित की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संचालन पर भी प्राकृतिक कारणों का प्रभाव पड़ा है, तथापि राज्य सरकार इन कमियों के प्रति सजग है एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केन्द्रों की स्थापना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण, जैविक खेती का विकास, कृषि महोत्सवों का आयोजन सम्बन्धित आदि परियोजनायें संचालित की जा रही है। हॉर्टिकल्चर टेक्नालॉजी मिशन प्रारम्भ करने के प्रथम पांच वर्षो में फल, सब्जी, मसाले तथा पुष्प उत्पादकता में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर

आजीविका हेतु पर्याप्त कृषि उत्पाद बढ़ाना जटिल समस्या बना हुआ है, जिसे जड़ी–बूटी उत्पादन, चायपत्ती उत्पादन, फल व मौसमी सब्जी उत्पादन द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र के मध्य विकास असंतुलन की ओर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है तथा वार्षिक योजना 2010–11 के प्रारूप में इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस असंतुलन को कम करने पर बल भी दिया गया है। नाबार्ड तथा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत विशेषकर सड़क निर्माण आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु सिंचाई हेतु पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी परियोजनायें सम्भव नहीं है। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत केन्द्रपोषित त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2009–10 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 97094.74 हे0 सिंचन क्षमता सृजित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ–लागत अनुपात एक से अधिक तथा प्रति हेक्टेयर लागत रू0 1.50 लाख रखी गयी है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति तथा छोटी एवं बिखरी हुई जोतों का संज्ञान लेकर तत्काल इस लागत में उचित परिवर्तन आवश्यक है।

नागरिक उड्डयन

भारत सरकार द्वारा सिक्किम में पैक्योंग (Pakyong) में रू0 325 करोड़, अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर (Itanagar) में रू0 550 करोड़ तथा नागालैण्ड में चेथू कोहिमा (Cheithu Kohima) में रू0 880 करोड़ की लागत से स्वीकृत 03 ग्रीन फील्ड हवाई–अड्डों का निर्माण भारतीय विमानन प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है। यह शत प्रतिशत अवस्थापना अनुदान है। उत्तराखण्ड भी पूर्वोत्तर राज्यों की भांति विशेष श्रेणी का राज्य है; **अतः राज्य में नैनी–सैनी (पिथौरागढ़), चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) तथा गौचर (चमोली) हवाई–अड्डों का विकास भारत सरकार के वित्त पोषण से किया जाना नितान्त आवश्यक है।** ये तीनों स्थल संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं तथा इन हवाई–अड्डों का सामरिक महत्व भी है। इसके अतिरिक्त दैवी आपदा के समय दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भी इनका प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान माल्पा दुर्घटना के समय राहत कार्यों में नैनी–सैनी हवाई अड्डा काफी सहायक सिद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त उक्त हवाई अड्डों के व्यापक विस्तार से राज्य में पर्यटन विकास को भी प्रबल गति मिलेगी।

रेल मार्गो का निर्माण

केन्द्र सरकार के वर्तमान वर्ष के रेल बजट में **ऋषिकेश से कर्णप्रयाग** तक रेल मार्ग स्वीकृत हुआ है। इस पर शीघ्रता से कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध

है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इस कार्य हेतु शत प्रतिशत धनराशि रेल मंत्रालय/केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन की जाय, क्योंकि इस परियोजना पर सुरंग (Tunnel) तथा बड़े–बड़े पुल निर्माण की उच्च तकनीकी की लागत देखते हुए राज्य सरकार के सीमित संसाधनों एवं राज्य में इस हेतु हुए नगण्य निवेश के दृष्टिगत अंशदान की अपेक्षा करना व्यवहारिक न होगा। इसी प्रकार **मुजफ्फरनगर–रूड़की रेलवे लाईन** निर्माण भी केन्द्र सरकार के संसाधनों से ही कराया जाय। रेल लाईनों के निर्माण लागत का 50 प्रतिशत भुगतान, इतने छोटे एवं न्यूनतम रेल अवस्थापना वाले राज्य के सीमित संसाधनों से किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः विशेष श्रेणी राज्य का लाभ देते हुए रेल परियोजनाओं पर शत प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाय।

अटल–आदर्श ग्राम योजना

हमारी स्पष्ट सोच है कि गांवों के समग्र विकास के बिना प्रदेश या देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ग्रामीण विकास की नई अवधारणा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के संतुलित विकास के दृष्टिकोण से, न्याय पंचायत मुख्यालय अथवा समीपस्थ ग्रामों को ग्रामीण विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु हमने एक महत्वाकांक्षी ''अटल आदर्श ग्राम योजना'' प्रारम्भ की है; जिसके पीछे परिकल्पना यह है कि चयनित ग्रामों को विकास कार्यक्रमों से इस प्रकार से संतृप्त किया जाये कि उन ग्रामों का तो समग्र विकास हो ही, साथ–साथ यह ग्राम विभिन्न सेवा सम्बन्धी गतिविधियों के लिए एक मॉडल के रूप में भी जाने जायें। इसके तहत पहले चरण में चयनित 670 न्याय पंचायत ग्रामों का चयन कर, उनमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

शहरी विकास

उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 26 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास कर रही है। राज्य निर्माण के बाद राज्य के प्रमुख शहरों की आबादी तीव्रगति से बढ़ी है। पर्वतीय राज्य एवं प्रमुख तीर्थ स्थलों के कारण पर्यटकों एवं धार्मिक श्रद्धालुओं की आवाजाही उनकी मूल आबादी की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, गत कुम्भ के समय हरिद्वार में 08 करोड़ 28 लाख श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आना जाना हुआ, जो शहर की आबादी के सौ गुना से भी अधिक तथा राज्य की कुल आबादी का दस गुना है। इसी प्रकार यात्रा काल में, यात्रा मार्ग के प्रमुख नगरों तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मसूरी, नैनीताल सहित पर्वतीय नगरों में बड़ी संख्या में आवागमन होता रहता है। अतः इन आगन्तुकों की सुविधा हेतु सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नये मार्गो का निर्माण, पार्किंग सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, पथ प्रकाश

व्यवस्था, चिकित्सा एवं कानून व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2001 की जनगणनानुसार, यद्यपि 26 प्रतिशत आबादी नगर क्षेत्र में रहती है, इस आबादी का लगभग 78 प्रतिशत चार मैदानी जनपदों के शहरों में केन्द्रित है। वर्ष 2001 के बाद अब तक इसमें और अधिक वृद्धि अनुमानित है। एक अन्य अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक नगरीय आबादी कुल आबादी के 50 प्रतिशत के ऊपर पहुंच जायेगी। अतः वर्तमान बड़े शहरों पर बढ़ते इस दबाव को कम करने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के वर्तमान नगरों का सुदृढ़ीकरण एवं विकास तथा बड़े ग्रामीण क्षेत्रों मे नगरीय सुविधाओं का विस्तार करना अपरिहार्य है; जिसके लिए केन्द्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना कम से कम जनपद मुख्यालयों में अवश्य लागू की जानी चाहिए। ऐसा होना ग्रामीण आबादी का नगरों की ओर पलायन रोकने के दृष्टिगत आवश्यक है।

विशेष औद्योगिक पैकेज

उत्तराखण्ड राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ; परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत **रू0 26000 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हुआ** तथा लगभग रू0 **1.44 लाख कामगारों** को रोजगार उपलब्ध कराया गया। **हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार** तथा **सितारगंज** में नये औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये हैं तथा निजी क्षेत्र को भी औद्योगिक आस्थान सृजित करने हेतु सतत् प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार संवर्धन हेतु **''एकीकृत पर्वतीय औद्योगिक विकास योजना''** का शुभारम्भ किया जा चुका है। राज्य सरकार के प्रयासों से विभिन्न मूलभूत अवस्थापना सुविधायें देकर तथा राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण के चलते पूंजी निवेश और बढ़ने की प्रबल सम्भावना है; **किन्तु इस बीच राज्य को प्रदत्त विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि 2013 से घटाकर मार्च 2010 तक सीमित कर दी गई। इससे हमारे प्रयासों को गहरा धक्का लगा है तथा हमें आशंका है कि भारत सरकार के इस कदम से राज्य में होने वाले प्रस्तावित रू0 32630 करोड़ के निवे ा, जिसमें लगभग 2 लाख 64 हजार व्यक्तियों हेतु रोजगार निहित है, गम्भीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अतः इस औद्योगिक वातावरण को कायम रखने हेतु औद्योगिक पैकेज को वर्ष 2020 तक बढ़ाये जाने हेतु मेरा पुरजोर आग्रह है।** इस सन्दर्भ में भारतीय संविधान का उल्लेख करना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद–14 में समानता का अधिकार प्रदत्त है परन्तु असमान को समान मानकर समानता नहीं लायी जा सकती है। असमान

राज्यों की एक ही मापदण्ड से तुलना उचित नहीं है। इसी क्रम में **संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुच्छेद 38(2) में भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार केवल व्यक्तियों के मध्य ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे जन समूहों के मध्य आय की असमानता कम करने तथा सुविधाओं एवं अवसरों मे विभेद दूर करने का प्रयास करेगी।** अन्य राज्यों को उनके गठन के उपरान्त दी गई सुविधाओं का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है कि उन्हें प्रारम्भ में ही केन्द्र सरकार से पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं जिससे उनका अवस्थापना ढांचा सुदृढ़ हुआ है। इसके विपरीत हमें प्रारम्भ से ही वन संरक्षण अधिनियम के प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ा है, जबकि अन्य राज्यों को अपने आरम्भिक काल में इस प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ा। अतः संविधान की व्यवस्थाओं एवं सिद्धान्तों के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड को पूर्व प्रदत्त विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि को कम किया जाना, किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है। दल विशेष के सत्तारूढ़ होने मात्र से सरकार की लोकोपकारी वचनबद्धता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मेरा पुनः अनुरोध है कि विशेष औद्योगिक पैकेज की अवधि को बहाल करते हुए इसे कम से कम वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाये। इससे हमारी संघीय व्यवस्था का पोषण होगा। सरकार की जनकल्याणकारी वि वसनीयता भी स्थापित होगी।

पेयजल

माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान एक अन्य विकट समस्या की ओर भी केन्द्रित करना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा काल एवं शीत काल में सामान्य वर्षा भी न होने से, **प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव में निरंतर ह्रास होना गंभीर चिंता का विषय है।** जिन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में पेयजल योजनाएं बनी थी, वहां पर जल स्रोतों के सूखने के कारण पेयजल योजनाऐं निष्प्रयोज्य अथवा अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं जिस कारण पेयजल की समस्या निरन्तर अधिक भयावह होती जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में, विशेषकर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय नगरों में पेयजल आपूर्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। विकल्प के तौर पर सदानीरा नदियों से पंपिंग योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु पंपिंग योजनाओं के निर्माण पर अत्यधिक व्यय, और प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय की अधिकता को देखते हुये राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों से वित्त पोषण सम्भव नहीं है। इस गम्भीर स्थिति से निपटने के लिये निमार्णाधीन पंपिंग योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पृथक से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध है।

फ्लैगशिप कार्यक्रम

राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सन्दर्भ में धनराशि का ससमय उपयोग नहीं हो रहा है। हमारा अनुभव रहा है कि इन योजनाओं की स्वीकृति हेतु ऐसी बाध्यकारी शर्ते रखी जाती हैं, जिनके निराकरण में अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता रहता है तथा अन्ततः वित्तीय वर्ष के अन्त में ही स्वीकृतियां प्राप्त हो पाती हैं जिनका उपयोग उस वित्तीय वर्ष में कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की स्वीकृति हेतु राज्य से वार्षिक योजना में कुल योजना आकार का 11 प्रतिशत परिव्यय सुनिश्चित करने की शर्त रख दी गयी हैं। जबकि हमारा अधिकांश परिव्यय केन्द्र पोषित योजनाओं के अंशदान, बाह्य सहायतित परियोजनाओं, अवस्थापना संरचना, अपरिहार्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में आबद्ध हो जाता है जिसके कारण उक्त अव्यवहारिक शर्तें पूर्ण करना सम्भव नहीं होता है। इस दिशा में आपका प्रभावी सहयोग अपेक्षित है।

विद्युत उत्पादन

राज्य के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, इस दि ाा में राज्य की स्थापना के प चात से निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत व्यवसाय में पारद ार्ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, नये ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, विद्युत वितरण में गुणात्मक सुधार तथा शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा उन्हे प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य की स्थापना के पश्चात पहाड़ों के विकास एवं शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक अंग है।

उत्तराखण्ड हिमालयी राज्य है, जिसकी अपनी समस्यायें हैं। यहां पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जल विद्युत है, जिसकी प्रकृति मौसमी है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून में वर्षा कम होने तथा शीत ऋतु में बर्फवारी कम होने के कारण नदियों में पानी की उपलब्धता कम रही है; जिसके कारण स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से पूर्ण विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पिछले 08 वर्षों में प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की दर से ऊर्जा की मांग में वृद्धि के कारण राज्य में लगभग 6 से 8.5 मि0यू0 प्रतिदिन ऊर्जा की कमी परिलक्षित हो रही है, जिसके आगामी वर्षों में और बढ़ने की सम्भावना है। उत्तराखण्ड राज्य में भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन पाला–मनेरी (480 मे0वा0) तथा भैरोंघाटी (381 मे0वा0) जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर पर्यावरणीय कारणों से रोक लगा दी गयी है।

इसके फलस्वरूप भागीरथी नदी पर अन्य सभी परियोजनाओं के भविष्य को लेकर भी आशंकायें खड़ी हो रही हैं। इसके साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से अलकनन्दा नदी घाटी में बनने वाले जल विद्युत परियोजनाओं के भविष्य पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जल विद्युत परियोजनाओं में रोक लगाये जाने तथा मौसमी परिवर्तनों के कारण नदियों के जल स्तरों मे कमी आने के कारण विद्युत की मांग के सापेक्ष पूर्ति सम्भव नही हो पा रही है। वर्ष 2008–09 के विद्युत उत्पादन की तुलना में वर्ष 2009–10 में लगभग 480 मि0यू0 की कमी आयी है। फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष राज्य स्तर पर उत्पादित विद्युत से इसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो पायेगी। इस हेतु यह आवश्यक है कि विद्युत उत्पादन के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाये। अतः राज्य में तापीय विद्युत स्थापना हेतु कोल ब्लॉक एवं गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु 6.00 एम0एम0एस0सी0एम0डी गैस का आबंटन किया जाये। राज्य की आवश्यकता के अनुसार तात्कालिक आधार पर केन्द्रीय कोटे से 2000 मे0वा0 विद्युत निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से बार–बार अनुरोध भी किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य में टी0एच0डी0सी0लि0 द्वारा 1000 मे0वा0 क्षमता की टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का 25% एवं भारत सरकार का 75% अंश निहित है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) में यह व्यवस्था है कि राज्य गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किसी कम्पनी में किया गया निवेश उस राज्य को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा, जहां उक्त कम्पनी का मुख्यालय स्थित है। इसके दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी वांछनीय है :

क) टिहरी परियोजना में उत्तराखण्ड राज्य को 25% अंशपूंजी हस्तान्तरित की जाये।

ख) 25% अंशपूंजी के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य को परियोजना निर्माण वर्ष 2006–07 से अब तक उत्पादित लगभग 9000 मि0यू0 विद्युत में से लगभग 1980 मि0यू0 विद्युत के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध कराई जाये।

ग) उत्तर प्रदेश को अब तक आबंटित लाभांश, जो कि 2008–09 तक लगभग रू0 71.90 करोड़ था, उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराया जाये।

घ) भविष्य में 25% अंशपूंजी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को आबंटित 250 मे0वा0 विद्युत को उत्तराखण्ड राज्य को अविलम्ब हस्तान्तरित किया जाये।

टिहरी बाँध का समेकित विकास

मैं **टिहरी बाँध** झील के समेकित विकास की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि टिहरी बाँध से विद्युत उत्पादन विगत तीन वर्षों से प्रारम्भ हो चुका है, जो कि राष्ट्रीय ग्रिड में सम्मिलित हो रही है। **राज्य को वर्तमान विद्युत उत्पादन का 12 प्रतिशत अंश ही प्राप्त हो रहा है, जबकि कुल उत्पादन क्षमता के सापेक्ष 12 प्रतिशत मिलना चाहिये।** टिहरी बाँध की विशाल झील एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है। हमारा अनुरोध है कि **टिहरी झील के सुनियोजित विकास के लिये विशेष आर्थिक जोन के आधार पर मास्टर प्लान शीघ्र बनाया जाये** जिसमें सड़कें, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण, जलक्रीड़ा, साहसिक पर्यटन, नौकायन, मत्स्य पालन, मोटर बोट, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, योग केन्द्र, पंचकर्म केन्द्र आदि सम्भावित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का सृजन केन्द्र सरकार की ओर से किया जाय, ताकि इस केन्द्रीय परियोजना का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ स्थानीय युवाओं को मिल सके। **इसी क्रम में मैं परिषद का ध्यान भैरोंघाटी, जामरानी बाँध परियोजना, किसाऊ परियोजना एवं सौंग परियोजनाओं की स्वीकृति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।** इन परियोजनाओं को पर्यावरण आदि से संबंधित कारणों से बीच में रूकवा दिया गया, जिसके कारण इन पर पूर्व में किया गया व्यय निरर्थक हो रहा है। 250 से भी अधिक महत्वाकांक्षी योजनाएं वन भूमि हस्तांतरण के कारण रूकी पड़ी हैं।

पर्यटन

सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से पर्यटन सैक्टर का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में बहुआयामी पर्यटन गंतव्य हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सैक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को यातायात सुविधाओं से जोड़ने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सड़क निर्माण, रज्जु मार्गों का निर्माण, हैलीपैड्स की स्थापना तथा राज्य के हवाई–अड्डों के विस्तारीकरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उच्च आय–वर्ग के पर्यटक राज्य की ओर आकर्षित हो सकें। इसी क्रम में रामबाड़ा–केदारनाथ, जानकी चट्टी–यमुनोत्री, ठूलीगाड़–पूर्णागिरी तथा ऋषिकेश–नीलकंठ रज्जुमार्गों की स्थापना पी0पी0पी0 मोड में करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड राज्य के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, भू–स्खलन, मार्गों का अवरूद्ध होना एवं सड़क दुर्घटनाओं से जनहानि होना आम बात है। इस प्राकृतिक आपदा से तत्काल निपटने के लिए तथा तुरन्त राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अत्यधिक धनराशि व्यय करनी होती है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तथा पर्यटक वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति

में त्वरित राहत दल, चिकित्सा सुविधायें, यातायात सुविधायें, संचार सुविधायें आदि अनेक परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं की तुरन्त व्यवस्था करनी होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु दैवी आपदा राहत के लिए प्रतिवर्ष विशेष पैकेज के रूप में आर्थिक सहायता स्वीकृत की जानी चाहिए।

जनजाति विकास

उत्तराखण्ड में पांच जनजातियां अवस्थित हैं, जिनमें से दो आदिम जनजाति (Primitive Tribe) श्रेणी में हैं। हमारा अनुभव है कि आदिम जनजातियां अपनी परम्पराओं, अशिक्षा तथा सामाजिक – आर्थिक रूप से मूलधारा से अलग रहने के कारण जनजाति विकास कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाती है। अतः इनके विकास के लिए और सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि इस श्रेणी की जनजातियों के परिवारों को स्वतः गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार मान लिया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न योजनाओं में उन्हें स्वतः बी.पी.एल. परिवारों का अनुमन्य लाभ प्राप्त हो सके। इस संबंध में पूर्व में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय भी अभ्युक्ति कर चुका है। इसके साथ ही इन्हें आधुनिक शिक्षा की ओर उन्मुख करने हेतु शिक्षण संस्थाओं में विशेष आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श स्कूल स्थापना की पहल की गई है। इस वर्ष से हमने राज्य के एक मात्र एकलव्य स्कूल में इन जन जातियों के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था प्रारम्भ की है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार दे ा के सभी एकलव्य विद्यालयों में इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था करे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति आई है परन्तु जनजाति युवाओं को जिस अनुपात में रोजगार के अवसर मिल सकते थे, समुचित कौशल के अभाव में उन्हें नहीं मिल पाये हैं। अतः औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप इनमें कौशल वृद्धि के लिए विशिष्ट आई0टी0आई0/ पॉलिटेक्निक स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता दी जानी चाहिए।

जन जातियों की लोक परम्परा एवं संस्कृति, आधुनिकीकरण की दौड़ में तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। इस लुप्त हो रही परम्परा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु इसके अभिलेखीकरण एवं क्षेत्रीय संग्रहालयों में जनजाति जीवन पर विशेष प्रदर्शन संकलित करने की आवश्यकता है। इन कार्यों के लिए वर्तमान में केन्द्रीय योजनाओं में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं है जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण

यहां यह दोहराना प्रासंगिक है कि उत्तराखण्ड राज्य का लगभग 65% भाग वन भूमि के अन्तर्गत आता है। इस दृश्टि से उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के ऊपर दे ा के जल, वायु, वन सम्पदा, वन्य जीवों एवं विलुप्त होती बहुमूल्य जड़ी–बूटियों की सम्पदा के संरक्षण का दायित्व भी है। इस दायित्व को उत्तराखण्ड निवासी कई पीढ़ियों से निभा भी रहे हैं, जबकि हिमालय की जल, वायु, वन सम्पदा, वन्य जीवों के संवर्द्धन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ पूरे देश को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहा है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक ताप वृद्धि से पूरे विश्व में खलबली एवं चिन्ता बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इसके दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं जो भविष्य के लिए गम्भीर चेतावनी के संकेत हैं। देश का एक तिहाई भू–भाग इस वर्ष माह मार्च से ही रिकार्ड तापमान पार कर चुका है और सूखे की चपेट में हैं; इसका दबाव हमारे राज्य के ऊपर भी पड़ा है तथापि यह सम्पूर्ण राष्ट्र को नैसर्गिक एवं पारिस्थितिकीय सेवायें प्रदान कर रहा है, किन्तु इसका भार इस छोटे राज्य के संसाधनों पर भारी पड़ रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि उत्तराखण्ड को प्रोत्साहन स्वरूप पर्यावरण प्रहरी के प्रतिदान स्वरूप **ग्रीन बोनस** के तौर पर रू0 5000 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाय। वन संरक्षण अधिनियम के कारण उत्तराखण्ड राज्य में कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, स्थानीय जनता को अवस्थापना सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है तथा जन असंतोष भी बढ़ रहा है। अतः इसकी पुनर्समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर इसके प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाया जाये।

समाज विकसित एवं समृद्ध होगा तो वह पर्यावरण संरक्षण में स्वतः सहायक होगा। हिमालयी राज्यों की विशिष्टताओं के दृष्टिगत उनके सर्वांगीण विकास हेतु पृथक से विकास नीति बनायी जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र की वन सम्पदा, वन्य जीव, बहुमूल्य जड़ी–बूटियों एवं विलुप्त होती वृक्ष प्रजातियों का संवर्द्धन एवं प्रसंस्करण सुनियोजित ढंग से किया जा सके। अतः उचित होगा कि केन्द्र सरकार इस हेतु अलग से हिमालयी राज्य विकास प्राधिकरण के गठन पर विचार करे।

उत्तराखण्ड राज्य सीमान्त प्रहरी के साथ–साथ राष्ट्र के पर्यावरण प्रहरी की भूमिका निभा रहा है। पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित प्रदेश का विस्तृत वन भू–भाग, नदियों, तालाबों, जलाशयों आदि का संरक्षण, जल एवं वायु परिस्थिति की निरन्तर गुणवत्ता अनुश्रवण तथा प्रदेश के बढ़ते शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के दृष्टिगत भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन पर्यावरणीय प्रबन्धन की उपयुक्त विधियों का समावेश कर सभी की सहभागिता के साथ प्रदूषण

नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यावरण प्रबन्धन पर ध्यान दिया जा रहा है।

जैव चिकित्सा अपशिष्टों, उद्योगों से जनित खतरनाक अपशिष्टों एवं ई–वेस्ट (E-waste) तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था की जानी है। राज्य में कचरा प्रबन्धन हेतु नीति तैयार कर ली गई है।

गंगा स्वच्छता अभियान

राष्ट्र की संस्कृति एवं आस्था की प्रतीक **गंगा–यमुना नदियों को स्वच्छ रखना हम सभी का पुनीत कर्तव्य है।** हमने **स्पर्श गंगा अभियान** चलाकर मां गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। **इन पवित्र नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के लिये हमने योजना आयोग से भी आर्थिक सहयोग हेतु अपना पक्ष रखा है। अतः सम्मानित परिषद से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में समुचित दिशा–निर्देश प्रदान करें।** वर्तमान में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों एवं यमुना नदी की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण 13 स्थलों पर किया जा रहा है तथा अन्य क्षेत्रों में भी नदियों की जल गुणवत्ता हेतु स्थलों का चयन किया जा रहा है।

इन सभी कार्यो की संवेदनशीलता, महत्व एवं इनके संचालन में निहित धनराशि देखते हुए केन्द्र से अधिकाधिक सहयोग अपेक्षित है क्योंकि इसका लाभ दे ा के सम्पूर्ण गंगा–यमुना क्षेत्र को मिलता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य जो वैदिक काल से ही **देवभूमि** के नाम से भी जाना जाता है तथा आज भी अपनी निर्मलता, स्वच्छता एवं शान्तिमय वातावरण का प्रतीक है; के सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद पूर्वोक्त सुझावों पर पूर्ण गम्भीरता एवं सदाशयता के साथ विचार कर इसके विकास का पथ प्रशस्त करेगी। मैं डा0 मनमोहन सिंह जी, मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार, डा0 मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, मा0 उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार के मा0 मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, योजना आयोग के सदस्यगण एवं उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए सभी लोगों को देवभूमि उत्तराखण्ड आने का सादर निमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

''जय हिन्द''

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड